


20.4.23

वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से पत्रावली सिंगह से तलब की गई। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि उक्त प्रकरण में हमारे बीच आपसी राजीनामा हो चुका है। प्रार्थी, विपक्षी गण के विरुद्ध अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप फरमाया जावे।

मैंने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मन्वकिया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रावपत्र को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी एवं विपक्षी गण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से एवं प्रार्थी, विपक्षी गण के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। प्रकरण में दिनांक 07-04-22 को जारी अस्थाई विवेधाना श्वारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा


प्रति

